रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 134] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 3, 1981/चैत्र 13, 1903
No. 134] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 3, 1981/CHAITRA 13, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 1981

सा. का. नि 276 (अ).—केन्द्रीय सरकार खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा केन्द्रीय खाद्य मानक समिति से परामर्श करने के पश्चात् खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में कतिपय और संशोधन करना चाहती है। जैसा कि उक्त धारा 23 की उपधारा (1) में अपेक्षित है, प्रस्तावित संशोधनों का निम्नलिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है। इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 90 दिन की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा।

ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व नियमों के उक्त प्रारूप की बाबत जो भी आक्षेप या सुझाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी ।

प्रारूप नियम

1. नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) नियम, 1981 है ।

2. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के परिशिष्ट ख में मद क. 29.01 के पश्चात् निम्नलिखित मद को रखा जाएगा, अर्थात् :—

"क. 30. पान मसाला से वह खाद्य अभिप्रेत है जो साधारणतया उसी रूप में या पान के साथ लिया जाता है । इसमें सुपारी, चूना, नारियल, कत्था इलायची और अन्य सुगन्ध वाले मशाले अन्तर्विष्ट हो सकते हैं । इसमें अनुज्ञात सुगन्ध भी अंतर्विष्ट हो सकती है । इसमें कोई मिलाया गया रंजन द्रव्य या कृत्रिम मीठी बनाने वाला या कोई अन्य हानिप्रद संघटक अन्तर्विष्ट नहीं होगा । यह कंकड़ी, बालू और अन्य सिलिकामय सामग्री से मुक्त होगा । यह निम्नलिखित मानकों के अनुरूप होगा :

कुल भस्म—.60 प्रतिशत से अधिक नहीं (शुष्क आधार पर) तनुहाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अघुलनशील भस्म 0.2 प्रतिशत से अधिक नहीं (शुष्क आधार पर) ।"

[संख्या पी. 15025/101/78-पी. एच. (एफ. एण्ड एन.) पी. एफ. ए.]

टी. वी. अन्टोनी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd April, 1981

G.S.R. 276(E).—The following draft of certain rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954), after consultation with Central Committee for Food Standards, is hereby published as required by sub-section (1) of the said section 23 for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of 90 days from the date of publication of the notification in the Gazette of India.

Any objection or suggestion, which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period so specified, will be considered by the Central Government.

DRAFTS RULES

1. These rules may be called the Prevention of Food Adulteration (Amendment) Rules, 1981.

2. In the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, in Appendix B, after item A, 29.01, the following item shall be substituted, namely :—

"A. 30 : Pan Masala Means the food generally taken as such or in conjunction with Pan. It may contain Betelnuts, lime, coconut, catechu, cardamom and other aromatic spices. It may contain permitted flavours. It shall not contain any added colouring matter or artificial sweetener or any other harmful ingredient. It shall be free from grit, sand and other siliceous material. It shall conform to the following standards —

Total Ash—Not more than 6.0 per cent (on dry basis). Ash insoluble Not more than 0.2 per cent (on dry basis), in dilute hydro chloric acid."

[No. P. 15025/101/78-PH (F&N) PFA]

T. V. ANTONY, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981